कृषि किरण अंक-9, जून 2020: पृष्ठ: 38-40
http://saaer.org.in

हिमाचल प्रदेष की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर

बिंदिया दत्त एवं अन्जू कपूर

गृह विज्ञान प्रसार एवं संचार प्रबंधन विभाग

गृह विज्ञान महाविद्यालय चै. स. कु. कृ. वि. वि., पालमपुर

हिमाचल प्रदेष एक पहाड़ी राज्य है जहाँ उत्तम जलवायु और विभिन्न महत्वपूर्ण औशधीय गुणों वाले पेड़-पौधों की धरोहर है। इस क्षेत्र के अधिकतर लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन है जिसमें मेहनत करके वह अपनी अजीविका अर्जित कर लेते हैं। पुरानें समय में लोग मुख्यतः खेतीवाड़ी पर ही निर्भर रहते थे, परन्तु अब लोगों को समझ आ गया है कि उन्हें खेतीवाड़ी के अलावा इससे जुड़े कुछ और कार्य भी करने होंगे ताकि वह अपनी आय को बढ़ा सके। प्रदेष में खेतीवाड़ी व घर के कार्यों में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यहां के पुरूश नौकरी (सरकारी व प्राइवेट) के कारण घरों से दूर रहतें है। हिमाचली महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं और वे किसी ना किसी माध्यम से कुछ कमाना चाहती हैं जिससे वें अपने व अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकें। उनके कमाने के पीछे कुछ कारण होते है जिनमें मुख्यतः स्वेच्छा, खाली समय का सही उपयोग, सामाजिक प्रतिश्ठा, स्वावलम्बी बनना, परिवार की आर्थिक सहायता, पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखना, पति की मौत, या बुरी आदतें तथा कमाई का अन्य साधन ना होना है। हिमाचल की औरतें कई कार्यो में निपुण है जिनसे वह आय अर्जित कर सकती हैं । उनकी इस निपुणता को देखते हुए उन्हें प्रषिक्षण देकर उनके अंदर उपस्थित कार्य क्षमता को निखार सकते हैं।

- महिलाएं प्राकृतिक संपदा का कई रूपों में उपयोग करके आय का साधन बना सकती है। जैसे इको फ्रैंडली रंग तैयार कर सकती हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकती हैं तथा पौंधो के रेषों का प्रयोग कर के कई तरह के उत्पाद तैयार कर सकती हैं।
- अत्यधिक सर्दियां होने के कारण यहां की औरतें बचपन से ही बुनाई के कौषल मे निपुण होती है। बहुत ही सुंदर ड़िजाइन वाले स्वेटर, जुरावे इत्यादि बनाती है परन्तु उनका यह कौषल उनके नज़दीकी इलाके में ही सीमित रह जाता है क्योंकि इसका बाजारीकरण करने में वे असफल रहती हेै। सरकार द्वारा इस समस्या को खत्म करने के लिए महिला ई-हाट

बेबसाइट है परन्तु महिलाओं को उसके साथ जोड़ने की आवष्यकता है ताकि उनका कौषल विष्व भर में प्रसिद्व हो सके और वह अपने इस कौषल से अधिक से अधिक लाभ कमा सके।

- विवाह षादियों में लेन-देन का सामान सजाना और उसे पैक करना बहुत बड़ा काम होता है। हिमाचली महिलाएं गोटा पट्टी के काम में भी बहुत निपुण होती है। उनकी इस निपणुता को उद्यमिता से जोड़ा जा सकता है।
- हिमाचल प्रदेष प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण है, जिन्हे महिलाएं सुखाकर विभिन्न उत्पाद तैयार कर के उनसे आय अर्जित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आंवले की कैंडी, आंवला पाऊडर और बड़िया तथा आमचूर, लहसुड़े का अचार, लुंगडूं का अचार, त्रिफला इत्यादि। इसके इलावा प्रदेष में रीठे की अधिक उपलब्धता होने के कारण रीठा पाऊडर के रुप में प्रसंस्करण करके इससे वाणिज्यकी लाभ उठाया जा सकता है।
- सब्जी उत्पादन के लिए भी हिमाचल की जलवायु उपयुक्त है अतः महिलाएं सब्जी उत्पादन व प्रसंस्करण करके भी पारिवारिक आय में अपना योगदान दे सकती हैं।
- प्रदेष के अधिकतर क्षेत्रों में मषरूम की खेती की जाती है। महिलाएं उसका अधिक मूल्य पाने के लिए तथा उसकी षैल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसका प्रसंस्करण आचार व कैनिंग के रूप में कर सकती है। इसके अतिरिक्त ढींगरी के औशधीय गुणों के कारण इसके उत्पादन व प्रसंस्करण के द्वारा भी महिलाएं अच्छी आय अर्जित कर सकती है। इसका औशधीय महत्व होने के कारण यह बहुत अच्छे दामों में बिकता है।
- हिमाचल प्रदेष के पहाड़ी इलाको में चील के पेड़ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिनके पाईन निडल्स नीचे गिर के जंगलो में आग लगने का कारण बनते हैं। जिससे वन्य जीवन व वनस्पति को भारी नुकसान पहुँचता है तथा यह ग्लोवल वार्मिंग का भी कारण है। महिलाएं इन्हें (पाईन निडल्स) एकत्रित करके इंधन के रूप में प्रयोग कर सकती हैं तथा प्रषिक्षण ले कर पाईन निडल्स के विभिन्न सजावटी सामान तैयार कर आय अर्जित कर सकती हैं। ऐसा करने से वे वन्य जीवन और वनस्पति को बचाने में तथा

ग्लोवल वार्मिंग को भी रोकने में सहयोग कर सकती हैं।

- आज के समय में षहरीकरण के कारण लोगों की ग्रामीण लोगों के जीवन की दिनचर्या के प्रति अच्छी खासी दिलचस्पी उत्पन्न हो गयी है तथा इसी के चलते आज इको टूरिज्म भी व एग्रो टूरिज्म भी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नए उद्यम के रूप में उभर रहा है। अतः महिलाएं अपनी दिनचर्या के साथ-साथ पैसा भी कमा सकती है।

हिमाचल में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। सरकार स्वरोजगार षुरू करने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहती हैं जिससे राज्य में स्वरोजगार की संख्या को बढ़ावा मिले। राज्य सरकार ने "युवा अजीविका योजना" के तहत यह घोशणा की कि कुल 25 प्रतिषत महिला आवेदक इस योजना के लिए लोन प्राप्त कर सकती हैं। हिमाचल सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री स्वावलम्वन योजना" के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 30 प्रतिषत सब्सिडी देने का प्रावधान है।

अतः आज के समय की माँग है कि एक काम पर ही आश्रित ना रहें और अन्य रोजगार स्थापित करें ताकि दूसरों को भी रोजगार दे सकें और जीवन स्तर ऊपर उठा सकें जिससे देष में गरीबी खत्म हो।